Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : MAKRANA

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 22-01-2025 3:38 PM

Fee Receipt No	:	202502465000240	Receipt Date	:	22/01/2025
Name	:	ADV MOHD SADDIK,	Document S. No.	:	202501465000240
Address	:	, , ,			
Document Type	:	Copy Of Document			
Face Value	:	₹ 0	Evaluated Value	:	₹ 0
Ord-Registration Fee	:	₹ 0	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 0	Certified copying fees Us_57	:	₹ 100
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 30	Stamp Duty	:	₹ 100
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
SiteInspection Fees	:	0	**Cash Amount Received**	:	**₹ 0**
			Other than Cash	:	**₹ 230**
			Total Amount	:	**₹ 230**

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gras Challan 99796989 ₹ 230

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

उप पंजीयक मकराना
जिला डीडवाना-कुचामन

Cashier

SUB-REGISTRAR

कार्यालय नगरपालिका मण्डल

मकराना (नागौर) राज.

शहरी जमाबन्दी के आधार पर ~~आवासीय~~ प्रयोजनों के लिये भूमि पट्टा–विलेख
शिक्षण संस्थान

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 "ख" के प्रावधानों के अन्तर्गत पुनः आवंटित भू-खण्डों के उपयोग हेतु)

यह इकरारनामा जो आज दिनांक 22.6.07 को आवंटन / विक्रय-पत्र संख्या पंजी वली स० 21/07-08

को राजस्थान के राज्यपाल जिन्हे इसमें इसके पश्चात् सरकार कह कर सम्बोधित किया गया है और दूसरी ओर

श्री/श्रीमती जन मंगल संस्थान सचीव

श्रीमति पुत्र/पत्नी पारस मणी रवीचा

जाति रवीचा व्यवसाय गृहणी

निवासी सरगम टाकीज के पिछे मकराना

(जिनकों इसके पश्चात पट्टेदार कह कर सम्बोधित किया गया है और इस इकरारनामे में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधी और मुन्तकील अलैह भी सम्मिलित होंगे) के बीच लिखा गया है।

इस बात का साक्षी है कि रूपये 77440/- अक्षरे सत्तर हजार चार सौ चालीस मात्र

मात्र की रकम के नियमन शुल्क जो पट्टेदार द्वारा अदा कर दिया गया है (और जिसकी रसीद सरकार इसके द्वारा स्वीकार करती है) और इसमें उल्लिखित शर्तों और करारों जो पट्टेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे के एवज में सरकार इसके द्वारा पट्टेदार को जमीन का वह तमाम प्लाट (जो इसके बाद उक्त भूखण्ड कह कर सम्बोधित किया गया है) नियमन और पुनः आवंटित करती है जो नगरपालिका क्षेत्र, मकराना वार्ड नं. 55B में स्थित है और जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्ण रूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में दिखलाया गया है, और जिसे पूर्व स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, वैध शर्तो और करारोंके अधीन पट्टेदार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. उक्त भूखण्ड शहरी जमाबन्दी के आधार पर लीज होल्ड पर पुनः आवंटित किया गया है। लीज की अवधि, 99 वर्ष होगी।

2. (अ.) पट्टेदार, नगर पालिका मकराना के कार्यालय में अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य स्थान पर प्रत्येक वर्ष जनवरी के प्रथम दिन उक्त भू-खण्ड के संबंध में आरक्षित दर की 2.5% की दर से शहरी जमाबन्दी जमा करायेगा। निर्धारित तिथि तक जमा नहीं कराने की दशा में नियमानुसार देय ब्याज राशि वसूल की जावेगी।

   (ब) दस वर्ष की अग्रिम शहरी जमाबन्दी एकमुश्त जमा कराने पर लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र प्रदत्त किया जावेगा। साथ ही राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प-5 (2) न.वि.वि./3/99 दिनांक 15.11.99 के अनुसार शहरी जमाबन्दी आरक्षित दर के बजाय केवल नियमन राशि की 2.5% प्रतिवर्ष की दर से देय होगी।

3. शहरी जमाबन्दी की निर्धारित धनराशि में प्रत्येक 15 वर्ष व्यतीत होने के तुरन्त पश्चात् तथा प्रत्येक हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। 15 वर्ष की अवधि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से संगणित की जायेगी।

4. उपरोक्त तारीख तक किसी रकम या परिवर्धित रकम या उसके किसी अंश की जो शहरी जमाबन्दी के कारण वाजिब हो, अदायगी न करने पर सरकार ऐसी रकम या उसके अंश को उस तरीके से जो उस समय मालगुजारी के बकाया की वसूली के लिये निर्देशित किया गया है, वसूल करेगी और वसूल करने के लिये सक्षम होगी।

प्रमाणित प्रति

उप पंजीयक, मकराना

मूल रिकार्ड से मिलान किया गया सही पाया गया।

हस्ताक्षर मिलानकर्ता

1343

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

356385

राजस्थान RAJASTHAN

8 JUN 2007

क्रम संख्या 1487 [illegible]

[illegible] 22-6-07 [illegible]

श्री / श्रीमती [illegible] श्रीमति पारसमणी खीचा

[illegible]

निवासी मकराना [illegible] हेतु मलग्न है

[illegible] खीचा

[illegible] अधिकारी [illegible]

[illegible] मकराना [illegible] मकराना

मूल रिकार्ड से मिलान किया गया
सही पाया गया।

हस्ताक्षर मिलानकर्ता

प्रमाणित प्रति

उप पंजीयक, मकराना

1487

[illegible] 22-6-07 [illegible]

[illegible]

[illegible] अधिकारी [illegible]

मूल रिकार्ड से मिलान किया गया
सही पाया गया ।

हस्ताक्षर मिलानकर्ता

प्रमाणित प्रति

उप पंजीयक, मकराना

क्रम संख्या 1487 द्वारा नगर पालिका
मण्डल मकराना दिनांक 22-6-07 पट्टा यहित
श्री / श्रीमती अल्लामा इकबाल संस्थान उस्तानिया पारसमणी
पति / पिता ... वेलफेयर
निवासी मकराना ... मालिक हैं
पाया (पंजीकृत) किया
सहायक अभिलेख ... उप पंजीयक
... मकराना ...

गवाह-1. फरहान अहमद S/o मुश्ताक अहमद 27 वर्ष जाति गौड़ निवासी गौड़ावास इमामचौक मकराना की है।

फरहान अहमद

गवाह-2. मोहम्मद हारुन S/o गुलाम नबी 57 वर्ष जाति रसिलोदिया निवासी गौड़ावास मकराना की है।

मोहम्मद हारुन

शनाख्त 1. - फरीन अहमद S/o इब्दुल वहीद जाति ... उम्र 32 वर्ष नि. टीबा मोहल्ला, इदगाह रोड, मकराना

Furqan

शनाख्त 2 - शिवेन्द्र S/o श्री नत्थी सिंह जाति जाट उम्र 30 वर्ष नि. सरदार ... पीह मकराना

मूल रिकार्ड से मिलान किया गया
सही पाया गया ।

हस्ताक्षर मिलानकर्ता

प्रमाणित प्रति

उप पंजीयक, मकराना

LAY OUT PLAN OF A LAND FOR COMMERCIAL LEASE PURPOSE

GIFT DEED

LAND OWNER :- JAN MANGAL SOCIETY JAIPUR.

PRESIDENT :- SHRI H.S. VARDIYA S/o ___ ___ ___

AT KHASRA No. 558 BEHIND OF SARGAM CINEMA MANGLANA ROAD

MOZA :- MAKRANA TEH. MAKRANA DIST. NAGAUR

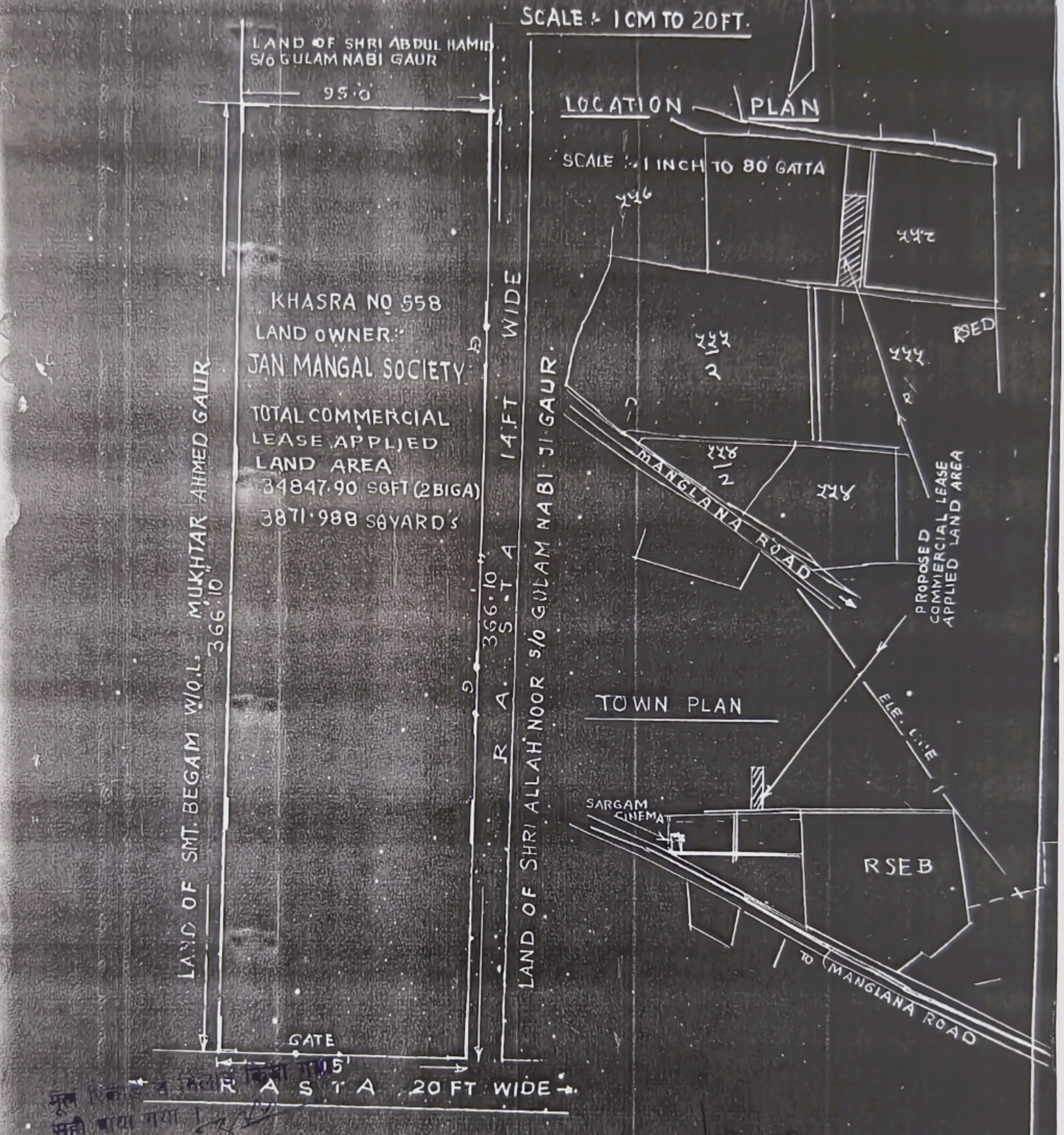

LAND DETAIL

GIFT DEED AND POSSESSION LAND AREA :- 34847.90 SQFT. 2 BIGA

TOTAL PROPOSED COMMERCIAL LEASE APPLIED AREA :- 34847.90 SQFT. 3871.988 SQYARDS

KHATEDAR	KHASRA NO.	GIFT DEED TO	LAND AREA	GIFT. DEED DATE
ABDUL HAMID GULAM NABI (FAMILY SETTLEMENT)	558	JAN MANGAL SOCIETY JAIPUR.	2 BIGA 34847.90 SQFT	8.1.2007

SIGNATURE OF APPLICANT.

	हस्ताक्षर	फोटो	अंगूठा
उक्त श्री / श्रीमती / सुश्री (Executant) 1-EO NP MAKRANA. Age:0, Caste- Ocu.- R/O-MAKRANA (And Claimant) 1-JAN MANGAL SANSHTHAN BY SEC./PARASMANI KHINCHA Age:0, Caste-KHINCHA Ocu.-H/W R/O-MAKRANA ने लेखपत्र Lease deed for local bodies (Patta) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रू0 1161600/- पूर्व में/मेरे समक्ष/मे से रू0 1161600/- पूर्व में ———— यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया। उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान 1. श्री / श्रीमती / सुश्री FARIN AHMED पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री ABDUL VAHID उम्र 32 वर्ष जाति GESAWAT व्यवसाय निवासी MAKRANA 2. श्री / श्रीमती / सुश्री TIKENDRA पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री NATHI SINGH उम्र 30 वर्ष जाति JAT व्यवसाय निवासी MAKRANA ने की है जिनके समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं			

उप पंजीयक, MAKRANA

(2007001679)
(Lease deed for local bodies (Patta))

मूल रिकार्ड से मिलान किया गया
सही पाया गया ।
हस्ताक्षर मिलानकर्ता

प्रमाणित प्रति
उप पंजीयक, मकराना

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : MAKRANA

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 22-01-2025 3:40 PM

Fee Receipt No	:	202502465000241	Receipt Date	:	22/01/2025
Name	:	ADV MOHD SADDIK,	Document S. No.	:	202501465000241
Address	:	, , ,			
Document Type	:	Copy Of Document			
Face Value	:	₹ 0	Evaluated Value	:	₹ 0
Ord-Registration Fee	:	₹ 0	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 0	Certified copying fees Us_57	:	₹ 100
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 30	Stamp Duty	:	₹ 100
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
SiteInspection Fees	:	0	**Cash Amount Received**	:	**₹ 0**
			Other than Cash	:	**₹ 230**
			Total Amount	:	**₹ 230**

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gras Challan 99797225 ₹ 230

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Signature of recipient
and date of return receipt

उप पंजीयक मकराना
जिला डीडवाना-कुचामन
SUB-REGISTRAR

Cashier

750

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

15395

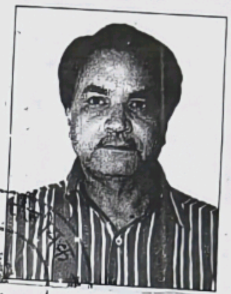

:– गिफ्ट डीड :–

यह गिफ्ट डीड आज दिनांक 17-6-08 ईस्वी को **अब्दुल हमीद गौड** आयु 43 वर्ष पुत्र स्वर्गीय श्री गुलाम नवी गौड निवासी इमाम गौडा बास, मकराना, जिला नागौर, राजस्थान राज्य सरकार का उपहारदेहिन्दा प्रथम पक्ष की ओर से **जन मंगल संस्थान**, जयपुर जरिये सचिव डॉ0 पारसमणि खींचा उपहार ग्रहिता

उप पंजीयक, मकराना (नागौर)

मूल रिकार्ड से मिलान किया गया
सही पाया गया ।

हस्ताक्षर मिलानकर्ता

प्रमाणित प्रति

उप पंजीयक, मकराना

(2)

द्वितीय पक्ष के हित में लिखा जाता है।

यह कि पटवार मंडल मकराना के कृषि भूमि खसरा नम्बर 558, रकबा श्री गुलाम नबी गौड पुत्र दीना महोम्मद सिलावट के नाम थी। दिनांक 11.4.2008 को प्राप्त रिकार्ड के अनुसार उनकी मृत्यु के पश्चात् उनकी पत्नि श्रीमती शरीफन के नाम नामान्तकरण दिनांक 1.3.1967 को हुआ था। हमारी माता श्रीमती शरीफन के जीवनकाल मे बाइमी बंटवारा कर हम पांचो भाई (1) मुश्ताक अहमद (2) अलानूर (3) श्रीमती नूरन बेगम पत्नि स्व. श्री शौकत अली (4) श्रीमती बेगम पत्नि स्व. श्री मुख्तार अहमद एवं (5) अब्दुल हमीद अपने–अपने हिस्से 1/5–1/5 भाग पर काबिज हो गये थे। अर्थात् हम पांचों अपने अपने भू भाग पर कब्जा धारित हो गये थे। माताजी के देहान्त वर्ष के पश्चात् दिनांक 2.4.2008 को नगरपालिका मकराना ने स्व. श्रीमती हज्जन शरीफन पत्नि श्री गुलाम नबी गौड जाति मुसलमान निवासी मकराना के हम पांचो भाईयो को हिस्सेदार वारिस प्रमाणित किया है जिसमे एक वारिस पुत्र श्री अब्दुल हमीद पुत्र स्व. श्री गुलाम नबी गौड भी है। मुस्लिम लॉ के अनुसार हमारे पिता गुलाम नबी गौड की मृत्यु के पश्चात् हम पांचो पुत्र श्री उनके वारिस होकर, इस भूमि के हकदार काबिज वारिसान हो गये है।

यह कि प्रथम पक्ष श्री अब्दुल हमीद गौड उपहार देहिन्दा के द्वारा जरिये अनरजिस्टर्ड गिफ्ट डीड दिनांक 5.1.2002 को उपरोक्त द्वितीय पक्ष उपहारग्रहिता को शेष रहा अपने हिस्से की 4 बीघा भूमि दे दी थी, कब्जा भी करा दिया था। उक्त दस्तावेज में सहवन से, डीड राईटर द्वारा त्रुटिवश माताजी का देहान्त अंकन हो गया था। जिसके कारण उक्त अपंजीकृत दस्तावेज का निष्प्रभावी मान जावे। जिससे उक्त दस्तावेज का भविष्य में किसी प्रकार का उपयोग/ दुरूपयोग नहीं किया जाय।

एतद् अब यह Denovo उपहार डीड दस्तावेज अभिलिखित है।

[signatures]

मूल रिकार्ड से मिलान किया गया
सही पाया गया ।
हस्ताक्षर मिलानकर्ता

प्रमाणित प्रति
उप पंजीयक, मकराना

इस उपहार डीड की भूमि 4 बीघा के पडोस निम्न है– पूर्व की ओर अलानूर की भूमि, पश्चिम की ओर जन मंगल सस्थान की भूमि, उत्तर की ओर सरकारी नाला व दक्षिण की ओर आम रास्ता है। इस भूमि के विषय में प्रथम पक्ष को सम्पूर्ण स्वत्वाधिकारी मालिकाना हक प्राप्त रहा है। क्योकिं उपरोक्त बाहमी बंटवारा माताजी के जीवनकाल में तथा उनकी मृत्यु के बाद भाई बंटवारा लिखित दिंनांक 18.5.2007 के आधार पर राजी–खुशी एवं सहमति के आधार पर भूमि मुझ प्रथम पक्षकार श्री अब्दुल हमीद के हिस्से में आने का दस्तावेज शेष सभी चारों हिस्सेदारों ने हस्ताक्षर कर सहमति दे दी थी। यह भूमि लगभग 2000 मीटर, सड़क से दूर अंदर, नाले के पास है।

यह कि उपरोक्त पांचो वारिसान् ने इस भूमि बाबत् दिनांक 18.3.2008 को किसी भी प्रकार का विवाद न होने का शपथ–पत्र दिया है तथा श्री अब्दुल हमीद के हिस्से में कुल 6 बीघा भूमि इस खसरा नम्बर 558 पटवार मंडली मकराना का होना सहमत किया है। जिसमे पूर्व में किये गये बाहमी बंटवारे की भी स्वीकृति अंकित की है।

यह कि द्वितीय पक्ष जन मंगल संस्थान राजस्थान में बालिकाओं एवं बालको की उच्च शिक्षा के विकास का वर्षो से प्रमुखता से कार्य करती है। तथा प्रथम पक्ष की हार्दिक इच्छा है कि उक्त संस्था मकराना में भी अग्रेंजी शिक्षा का विशेष कार्य करे, जिससे मकराना क बालक व बालिकाओ का भविष्य उज्जवल हो, इसलिए प्रथम पक्ष ने अपनी उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि संपूर्ण में से 4 बीघा को उसके सम्पूर्ण स्वत्वों व अधिकारों सहित, बिना किसी दाव व दबाव एवं बिना किसी भी प्रकार के प्रतिफल के द्वितीय पक्ष जन मंगल संस्थान को गिफ्ट करता है।

यह कि प्रथम पक्ष उपहारदेहिन्दा ने उक्त गिफ्ट में दी गई सम्पत्ति पर से अपना कब्जा व अधिकार हटाकर उस पर द्वितीय पक्ष उपहाग्रहिता जन मगल संस्थान का मौके पर वास्तविक रूप से भौतिक कब्जा व अधिकार करवा दिया है। अब आज से उपहार में दी गई

मूल रिकार्ड से मिलान किया गया सही पाया गया ।

हस्ताक्षर मिलानकर्ता

प्रमाणित प्रति

उप पंजीयक, मकराना

सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के समान ही द्वितीय पक्ष उपहाग्रहिता जन मंगल संस्थान ही एकमात्र मालिक, स्वामी व अधिकारी है व रहेगी और द्वितीय पक्ष उपहाग्रहिता को अब उपहार में ली हुई सम्पत्ति को अग्रेजी शिक्षा का कार्य करने एवं शिक्षा कके विकास का कार्य आदि करने के सम्पूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्त हो गये है, आज से द्वितीय पक्ष उपहाग्रहिता उक्त वर्णित उपहार में ली हुई सम्पत्ति का पूर्णतय मालिक व अधिकारी हो गयी है वे भविष्य में रहेगी।

यह कि उपहार में दी गई सम्पत्ति से उपहारदेहिन्दा प्रथम पक्ष स्वयं का तथा उपहारदेहिन्दा प्रथम पक्ष के अन्य उत्ताराधिकारियों सीनापन्नों, वारिसानों, प्रतिनिधियों, व अधिकारदाताओं का किसी भी तरह का कोई सम्बन्ध व ताल्लुक नहीं है और न ही भविष्य में होगा।

यह कि गिफ्ट की गई उक्त अचल सम्पत्ति के सबंध में आज से पहले की कोई बकाया राशि, कोई झगडा, टन्टा, ऋणभार सरकारी, अर्द्धसरकारी, बैंक व जनसाधारण का पाया गया तो उन समस्त के निपटारे की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष उपहादेहिन्दा की होगी तथा आज क बाद की समस्त जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष उपहाग्रहिता की स्वयं की होगी।

यह कि गिफ्ट की गई सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त असल कागजात की फोटो कॉपी प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को सौंप दी है।

यह कि द्वितीय पक्ष उपहाग्रहिता डॉ. पारसमणि खीचा बहैसियत सचिव जन मंगल संस्थान, प्रथम पक्ष उपहारदेहिन्दा से उक्त वर्णित सम्पत्ति को सहर्ष उपहार में लेना स्वीकार करती है और इसकी सहमति स्वरूप डॉ. पारसमणि खीचा ने स्वयं के इस गिफ्ट डीड पर अपने हस्ताक्षर भी कर दिये हैं।

अतः यह गिफ्ट डीड प्रथम पक्ष उपहादेहिन्दा ने अपने स्वस्थ चित्त व स्थिर बुद्धि की अवस्था मे 100/– रूपये के एक किता व चार पेपरों पर लिखवाकर इसकी भली प्रकार से पढ़, सुन व समझकर

मूल रिकार्ड से मिलान किया गया
सही पाया गया।
हस्ताक्षर मिलानकर्ता

प्रमाणित प्रति
उप पंजीयक, मकराना

(5)

अपने हस्ताक्षर समक्ष निम्न गवाहान के कर दिये है कि प्रमाण रहें और समय पर काम आवें। इति दिनांक 17.6.08

हस्ताक्षर उपहारदेहिन्दा प्रथम पक्ष

मै श्री अब्दुल हमीद से उक्त वर्णित सम्पत्ति को जन मंगल संस्थान को लिये सहर्ष उपहार में लेना स्वीकार रकती हूँ तथा मैने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति को वास्तविक व भौतिक कब्जा सम्भाल लिया हैं।

हस्ताक्षर उपहाग्रहिता द्वितीय पक्ष

गवाह :- फरान अहमद S/o मुस्ताक अहमद जी गौडा बास इमाम चौक मकराना।

गवाहः- अ० सलाम S/o अ० हमीद मकान 2960 रेगरों की कोठी घाट गेट जयपुर

मूल रिकार्ड से मिलान किया गया सही पाया गया ।

हस्ताक्षर मिलानकर्ता

प्रमाणित प्रति

उप पंजीयक, मकराना

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : MAKRANA

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 31-03-2021 4:43 PM

Fee Receipt No	: 202102465000941	Receipt Date	: 31/03/2021
Name	: SANJAY PARASHAR,	Document S. No.	: 202101465000934
Address	: 0 ,CIVIL LINES ,CIVIL LINES ,JAIPUR		
Document Type	: Rajasthan Land Revenue Act, 1956 under 90A		
Face Value	: ₹ 412800	Evaluated Value	: ₹ 1032001

Ord-Registration Fee	: ₹ 4128	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 7431	Stamp Duty	: ₹ 24768
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: **₹ 0**
		Other than Cash	: **₹ 36627**
		Total Amount	: **₹ 36627**

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

Stamp N.A. ₹ 650 # e-Gras Challan 9175859 ₹ 3597[illegible]

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

उप पंजीयक * मकराना (नागौर)

Signature of recipient
[illegible] date of return receipt

उप पंजीयक, मकराना (नागौर)

SUB-REGISTRAR

Cashier

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर परिषद्

मकराना (नागौर) राज.

क्र.सं. 2649

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन/नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2021 के माह 02 के 23 वे दिन जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण/नगर सुधार न्यास/नगर परिषद/नगरपालिका मण्डल मकराना (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं

श्री/श्रीमती जय मंगल संस्थान जरिये अध्यक्ष संजय पराशर

पुत्र/पत्नि श्री जय प्रताप पराशर

जाति ब्राह्मण व्यवसाय शिक्षाविद् निवासी मकराना पब्लिक स्कूल पास मकराना

(जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधी और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिनकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना - राजस्व ग्राम मकराना के खसरा संख्या 558 क्षेत्रफल 888.89 वर्गगज में स्थित है जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्ते और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने **अधिकार में रखेगा**, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत करदें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम-20 के उप नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 8 वर्षीय एकमुश्त बानवे हजार चार सौ पैंतालीस रुपये मात्र अंके 92445/- मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमे राशि जमा करायी जाती है को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

प्रिमियम राशि - 115556/-
किराया शुल्क - 74667/-
लीजडीड - 22222/-
BSUP - 22222/-

हस्ताक्षर पट्टेदार

आयुक्त
नगर [illegible] मकराना

सभापति
नगर. परिषद मकराना

उप पंजीयक, मकराना (नागौर)

Scanned with CamScanner

2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।

3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।

4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल...संस्थानिक............प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।

6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरिम या उप पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वार उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।

7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिये आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी, परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम का नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।

9. यदि आबंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आबंटन या पट्टा विलेख विधि की दूरभिसंधी या उसके उल्लघंन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आबंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिये दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

11. उक्त पट्टा विलेख भूखण्ड के स्वामित्व का दस्तावेज है उसमें निर्मित निर्माण के नियमितिकरण दस्तावेज नहीं है।

हस्ताक्षर पट्टेदार

आयुक्त
नगर परिषद मकराना

सभापति
नगर परिषद मकराना

कस्बे का नाम मकराना

राजस्व ग्राम मकराना

खसरा नम्बर 558

योजना का नाम

2649

भुजाओं का नाम	पूर्व 100'0" फुट	गज, पश्चिम 100'0" फुट		गज
	उत्तर 80'0" फुट	गज, दक्षिण 80'0" फुट		गज
	क्षेत्रफल 888.89 वर्गगज			
सीमाओं के पड़ौस	पूर्व में जन मंगल संस्थान कि जमीन	पश्चिम में आम रास्ता		
	उत्तर में मुल्ला आसम का प्लाट	दक्षिण में सरिफन का प्लाट		

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्ग गज/मीटर 888.89 वर्गगज

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 2021 के माह 02 के 23 वें दिन
श्री जनमंगल संस्थान जरिये अध्यक्ष संजय पारासर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

सभापति
नगरपरिषद्, मकराना

आयुक्त
नगरपरिषद्, मकराना

साक्षी :-

1. नाम आयुष शर्मा
   पुत्र राजेन्द्र शर्मा
   व्यवसाय प्राइवेट सर्विस
   निवास स्थान अजमेर
2. नाम मोहम्मद साजिद
   पुत्र जमाल
   व्यवसाय प्राइवेट सर्विस
   निवास स्थान मकराना

नगर निकाय - प्रथम पक्ष
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी

साक्षी

आज सन् 2021 के माह 02
के 23 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त
श्री जन मंगल संस्थान जरिये अध्यक्ष संजय पारासर
लीजधारक द्वारा कार्यालय उ०प० मकराना में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम आयुष शर्मा
   पुत्र राजेन्द्र शर्मा
   व्यवसाय प्राइवेट सर्विस
   निवास स्थान अजमेर
2. नाम मोहम्मद साजिद
   पुत्र जमाल
   व्यवसाय प्राइवेट सर्विस
   निवास स्थान मकराना

कार्यालय उप पंजीयक मकराना (नागौर)

साक्षी

साक्षी

उप पंजीयक, मकराना (नागौर)

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

Rs. 500

सत्यमेव जयते

पाँच सौ रुपये

15 FEB 2021

INDIA NON JUDICIAL

को जारी किये गये

राजस्थान RAJASTHAN

R 428178

पटटा संख्या 2649 नगर परिषद
मकराना 23-2-2021 ग्रहिता
श्री / — जन मंगल संस्थान जरिये अध्यक्ष संजय पराशर
पुत्र / जय प्रताप पराशर
की स्टा

ग्रहिता

मकराना

उप पंजीयक, मकराना (नागौर)

[illegible] - 1608 24/02/21

[illegible]

[illegible] [illegible]

पट्टा संख्या 2649 ... परिषद
मकराना दिनांक 23.2.2021 ... महिला
श्री / श्रीमति जन मंगल सस्थान ...
पुत्र / पत्नी ...
की स्टाम्प ...

प्रबिता ... मकराना

उप पंजीयक,मकराना (नागौर)

कार्यालय उप पंजीयक * मकराना (नागौर)

Scanned with CamScanner

Presentation Endorsement

आज दिनांक 31 माह 03 सन् 2021 को 04:40 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SANJAY PARASHAR पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री JAI PRATAP PARASHAR
उम्र 57 वर्ष, जाति 0-BRAHAMAN , व्यवसाय Other
निवासी House No.:0, Colony: CIVIL LINES , Area: CIVIL LINES , City: CIVIL LINES , Pin code: 302006, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे समक्ष दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

202101465000934

हस्ताक्षर उप पंजीयक, MAKRANA

The lease deed issued/executed in respect of the land placed at the disposal of the Local Authorities under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202102465000941
दिनांक	31-03-2021
पंजीयन शुल्क ₹	4128
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	24768
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	7431
कुल योग	36627

202101465000934

उप पंजीयक, MAKRANA

The lease deed issued/executed in respect of the land placed at the disposal of the Local Authorities under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956

Scanned with CamScanner

पट्टा संख्या 2649 द्वारा नगर परिषद
मकराना दिनांक 23-2-2021 पट्टा ग्रहिता
श्री / ~~श्रीमति~~ जन मंगल संस्थान जरिये अध्यक्ष संजय पराशर
पुत्र / ~~पत्नी~~ जय प्रताप पराशर
की स्टाम्प पूर्ति ...

ग्रहिता

आयुक्त
न.प.मकराना

सभापति
न.प. मकराना

उप पंजीयक,मकराना (नागौर)

कार्यालय उप पंजीयक मकराना (नागौर)

Scanned with CamScanner

Endorsement of Execution

अनु क्र. पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1 श्री/श्रीमती/सुश्री SANJAY PARASHAR, पुत्र/पुत्री/पति श्री JAI PRATAP PARASHAR , व्यवसाय Other जाति 0-BRAHAMAN House No.:0, Colony: CIVIL LINES , Area: CIVIL LINES , City: CIVIL LINES , Pin code: 302006, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age 57 Signature

ने लेख्यपत्र The lease deed issued/executed in respect of the land placed at the disposal of the Local Authorities under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

प्रतिफल राशि रू 412800/- पूर्व मे / मेरे समक्ष / मे से रू 412800/- पूर्व मे -------------- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र. गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री MOHAMMED SAJID , पुत्र/पुत्री/पति श्री JAMAL जाति MUSLIM Age: 29 Add: House No.:0, Colony: MAKRANA, Area: MAKRANA, City: MAKRANA, Pin code: 341505, District: NAGAUR, State: RAJASTHAN			Signature
2 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री AYUSH SHARMA , पुत्र/पुत्री/पति श्री RAJENDRA SHARMA जाति BRAHAMAN Age: 34 Add: House No.:0, Colony: BIJAINAGAR, Area: BIJAINAGAR, City: BIJAINAGAR, Pin code: 305624, District: AJMER, State: RAJASTHAN			Signature

उप पंजीयक, MAKRANA

202101465000934

The lease deed issued/executed in respect of the land placed at the disposal of the Local Authorities under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956

Scanned with CamScanner

SITE PLAN
SCALE :-1"=25'

(सभापति)
सभापति
नगर परिषद मकराना

कनिष्ठ अभियन्ता
नगर परिषद मकराना

आयुक्त
नगर परिषद मकराना

AREA ANALYSIS :-
PROPOSED SITE SHOWN IN RED

NET PLOT AREA :- 888.89 SQ. YDS., 743.22 SQ. MTRS.
R.O.W. AREA :- 111.11 SQ. YDS., 92.90 SQ. MTRS.
EXISTING PLOT AREA :- 1000.00 SQ. YDS., 836.12 SQ. MTRS.

APPLICANT

SHREE NAKODA JI
CONSULTANT & ARCHITECT
PLAN IS CORRECT

SITE PLAN SHOWING OF PLOT NO. 10, ON KH. 558 NEAR MAKRANA PUBLIC SCHOOL, MAKRANA, DIST. - NAGAUR. APPLICANT:- JANMANGAL SANTHAN VIA. CHAIR MAN SH.SANJAY PARASAR S/O. SH. PRATAP PARASAR उप पंजीयक,मकराना (नागौर)	SHREE NAKODA JI Consultant & Architect Reg. No :- [illegible] Near Kalyan Mandap, New Colony [illegible] city (Nagaur) Email Id:- [illegible] Mob. no-[illegible]

Scanned with CamScanner